रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-19052026-272682
CG-KA-E-19052026-272682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2435]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948
No. 2435]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 14 मई, 2026

का.आ. 2527(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, वह भूमि—जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है—जो एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, “नायंदाहल्ली और केंगेरी स्टेशनों के बीच कि.मी.10/900 - 11/000 पर समपार फाटक सं.10 के स्थान पर ‘रोड अंडर ब्रिज’ का निर्माण (वालागेरहल्ली-ग्राम, बेंगलुरु दक्षिण तालुक, बेंगलुरु जिला)”—जो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु जिले में स्थित है—एतद्वारा ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए अपना आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि पर आपत्ति उठा सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बेंगलुरु और मध्यस्थ, अर्थात क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी। यह आपत्ति विशेष रेलवे परियोजना, यानी "नायंडहल्ली और केंगेरी स्टेशनों के बीच कि.मी.: 10/900 - 11/000 पर समपार फाटक सं.10 के स्थान पर 'रोड अंडर ब्रिज' का निर्माण (वालगेरहल्ली गांव, बेंगलुरु दक्षिण तालुक, बेंगलुरु जिला)" के निष्पादन के संबंध में होगी। उसके आधार आपत्ति में स्पष्ट रूप

से बताए जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्ति करने वाले को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर देगा। सभी आपत्तियों को सुनने के बाद, और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझने पर और आगे की जांच करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी एक आदेश जारी करके उन आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु जिले में कि.मी. 10/900 - 11/000 तक संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के बिना होने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य: कर्नाटक			**जिला: बेंगलुरु**		
तालुक: बेंगलुरु दक्षिण			**गांव: वलगेराहल्ली**		
एस एन	**सर्वेक्षण/प्लॉट नं.**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**कार्य-क्षेत्र (स्थानीय इकाइयों में)**	**कार्य-क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	69	सुखी	निजी	0G-1.26An	0.0040
2	71	सुखी	निजी	3G-0.21An	0.1532
3	72	सुखी	निजी	9G-0.47An	0.4593
4	78	सुखी	निजी	0G-1.26An	0.0040
कुल				12G-3.20An	0.6205

[फ़ा. सं. डब्ल्यू 271/सी एन/बी एन सी/2026-27/लैंड एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता- III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 14th May, 2026

S.O. 2527(E).—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. "Construction of Road Under Bridge in lieu of LC No. 10 at KM: 10/900 - 11/000 between Nayandahalli and Kengeri stations (Valagerahalli- Village, Bengaluru South Taluk, Bengaluru District)" in the District of Bengaluru in the state of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Bengaluru and arbitrator namely Regional Commissioner, Bengaluru for the execution of the Special Railway Project, namely "Construction of Road Under Bridge in lieu of LC No. 10 at KM: 10/900 - 11/000 between Nayandahalli and Kengeri stations (Valagerahalli- Village, Bengaluru South Taluk, Bengaluru District)" in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km:10/900 to Km:11/000 in the district of Bengaluru in the state of Karnataka.

State: Karnataka			**District: Bengaluru**		
Taluk: Bengaluru South			**Village: Valagerahalli**		
SN	**Survey / Plot No.**	**Type of land**	**Nature of land**	**Area (in local units)**	**Area (in Hectares)**
1	69	Dry	Private	0G-1.26An	0.0040
2	71	Dry	Private	3G-0.21An	0.1532
3	72	Dry	Private	9G-0.47An	0.4593
4	78	Dry	Private	0G-1.26An	0.0040
Total				**12G-3.20An**	**0.6205**

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.19 11:29:41 +05'30'